न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील भरण पोषण प्रकरण संख्या 05/2022 (GCMS : 2022/92)

1. **रामकरण** पुत्र श्री सुखराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 19 नया नम्बर 29, सूरतगढ़, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
2. **सरबती** पत्नि रामकरण पुत्र श्री सुखराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं. 19 नया 29, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **सुरेन्द्र कुमार वर्मा** पुत्र रामकरण पुत्र श्री सुखराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 19 नया नम्बर 29, सूरतगढ़, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
2. **नरेन्द्र कुमार** पुत्र रामकरण पुत्र श्री सुखराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 19 नया नम्बर 29, सूरतगढ़, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
3. **तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.04.2025

पत्रावली पेश हुई, प्रार्थी रामकरण, सरबती एवं अप्रार्थी सुरेन्द्र कुमार वर्मा एवं नरेन्द्र कुमार को बार–बार आवाज् लगाई गई परन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी रामकरण एवं सरबती ने उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ द्वारा माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत पारित आदेश दिनांक 07.04.2022 के विरूद्ध यह अपील पेश की थी।

अपीलार्थी सेवानिवृत राज्यकर्मी पेंशनधारी और प्रार्थीगण के नाम कब्जे में कृषि भूमि सहित अन्य आवासीय भूखण्ड आदि अचल सम्पत्ति एवं आय के नियमित स्त्रोत होने के कारण, उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 07.04.2022 से अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी थी, जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 के तहत यह अपील पेश की है।

अपीलार्थीगण, अपील प्रस्तुत करने के पश्चात अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के समक्ष कभी भी उपस्थित नहीं हुए, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अपलार्थीगण इस अपील को आगे चलाना नहीं चाहते है, इसलिए विचाराधीन अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति मय उनके न्यायालय का मूल रिकॉर्ड उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाया जाये। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:04 IST
Reason: SelfAttested